न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 179/2024
GCMS NO. : 2024/386

-: वादी :-	बनाम	-: प्रतिवादीगण :-
1. अमृतलाल सोनी पुत्र स्व. नेनुराम उर्फ रामचन्द्र 2. राजेन्द्र प्रकाश सोनी पुत्र स्व. नेनुराम उर्फ रामचन्द्र जाति- सोनी, निवासीगण- शिवचौकी के पास जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर राज०।		1. तहसीलदार जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर, राज०।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

तारीख रजू:.08/10/2024

उपस्थितः-1. श्री सुरेश चौधरी, श्री डांवरराम व श्री गोविन्द जाखड़, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::- दिनाँकः- 09/10/2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला-ब्यावर के स्थित खसरा नंबर 501/8 रकबा 0.9065 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसकी चालू जमाबन्दी इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को वादपत्र में आगे सुविधा की की दृष्टि से वादग्रस्त भूमि के नाम से जाना जायेगा। उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर 501/8 की भूमि पूर्व में खसरा नंबर 501 रकबा 26 बीघा 07 बिस्वा का ही भू भाग रही है। जिसके पूर्व में 1/4 वें हिस्से की भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता नेनूराम उर्फ रामचन्द्रजी सोनी रहे तथा वादीगण के दादा गणेशराम उर्फ गणेशमलजी का देहान्त होने पर तत्कालीन हल्का पटवारी व राजस्व कार्मिकों ने गणेशराम उर्फ गणेशमलजी के फौतेदगी नामान्तकरण में रामचन्द्रजी के बोलते नाम केवल नेनूराम के नाम का अंकन करते हुए राजस्व रेकर्ड में गणेशराम उर्फ गणेशमलजी के देहान्त उपरान्त जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के नेनूराम उर्फ रामचन्द्रजी सोनी पुत्र गणेशरामजी की बजाय नेनूराम पुत्र गणेशराम जी सोनी अंकन कर दिया था व इसी माफिक चोसाला जमाबन्दी में भी नेनूराम पुत्र गणेशराम का अंकन किया गया है। जबकि वादीगण के पिता का माफिक दस्तोवजात के अनुसार नाम नेनूराम उर्फ रामचन्द्रजी सोनी रहा जिससे सम्बन्धित दस्तावेजी सबूत इस वादपत्र के साथ पेश है। जिससे यह स्पष्टतया साबित है कि वादीगण के पिताजी का सही नाम

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,जैतारण(ब्यावर)

नेनूराम उर्फ रामचन्द्रजी सोनी पुत्र गणेशराम उर्फ गणेशमलजी सोनी रहा हे। लेकिन वादीगण के पिताजी को शुरु से घर परिवार में बोलते नाम नेनूराम के नाम से भी जानते थे इस वजह से वादीगण के पिताजी का नाम भी गणेशराम जी के देहान्त उपरान्त फौतेदगी म्यूटेशन में भी केवल नेनूराम पुत्र गणेशराम दर्ज कर दिया गया जो उस समय से लगायत आज दिन तक इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में चलता आ रहा है। वादीगण के पिताजी रामचन्द्रजी सोनी का देहान्त दिनांक 29.11.1999 को हो गया था। जिसके दस्तावेजी सबूत में नगरपालिका जैतारण द्वारा जारी किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र में नेनूराम उर्फ रामचन्द्र सोनी पुत्र गणेशमल के नाम से जारी दिनांक 04.12.1999 का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। इस प्रकार से वादीगण के पिताजी नेनूराम उर्फ रामचन्द्रजी सोनी का देहान्त होने पर जरिये फौतेदगी नामान्तकरण संख्या 1666 दिनांक 04.05.2001 के अनुसार उक्त भूमि नेनूराम उर्फ रामचन्द्र जी सोनी की बजाया वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई है जिसमें भी तत्कालीन हल्का पटवारी राजेन्द्र प्रकाश सोनी की बजाय राजेन्द्र कुमार के नाम का अंकन किया हुआ हे जो काबिल दुरुस्ती के है। इस प्रकार से उपरोक्त अंकन के दस्तावेजी सबूत के रूप में चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2057 से 2060, 2061 से 2064, 2065 से 2068, 2069 से 2072, 2073 से 2076 की इस वादपत्र के साथ पेश है। इसी दौरान न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर द्वारा वादग्रस्त खसरा नंबर 501 की भूमि के बाबत जारी बंटवाड़े की डिक्री के माफिक जरिये नामान्तकरण संख्या 4338 दिनांक 26.12.2018 की पालना में खसरा नंबर 501/8 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा यानि 0.9065 हैक्टेयर की भूमि वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई है। जिसमें वादीगण के पिताजी का सही नाम नेनूराम उर्फ रामचन्द्रजी सोनी की बजाय वादीगण की वल्दियत केवल नेनूराम जी दर्ज है एवं इसी प्रकार वादी राजेन्द्र प्रकाश सोनी की बजाय कुमार दर्ज है जो काबिज दुरुस्ती के होने से यह वादपत्र सादर पेश है। वादीगण स्वयं के पहचान से सम्बन्धित सभी दस्तावेजात में वादीगण की वल्दियत नेनूरामजी की बजाय नेनूराम उर्फ रामचन्द्रजी सोनी दर्ज है इसी प्रकार वादी संख्या 02 के पहचान से सम्बन्धित दस्तावेजात में सही नाम राजेन्द्र प्रकाश सोनी ही है। लेकिन इस वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में ही वादीगण की वल्दियत नेनूराम दर्ज है। साथ ही वादी संख्या 02 का नाम राजेन्द्र कुमार के रूप में दर्ज है। इस वजह से वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का न तो बंटवाड़ा कर पा रहे है न ही अपने खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि पर बैंक से अपना साख पत्र ही बनवा पा रहे है। तब इसी परिस्थितियों में वादीगण को भारी परेशानियों का सामना होने से वादीगण ने हल्का पटवारी जैतारण व तहसील, जैतारण से वादीगण स्वयं व पिताजी का नाम जो राजस्व रेकर्ड में नेनूराम जी दर्ज है उसे दुरुस्त करते हुये नेनूराम की बजाय नेनूराम उर्फ रामचन्द्रजी सोनी दर्ज किये जाने बाबत निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा स्वयं के स्तर पर इस प्रकार के नाम दुरुस्ती करने से इंकार करते हुए सक्षम राजस्व न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने की हिदायत दिनांक 19.09.2024 को दी है। जिस पर वादीगण का यह वादपत्र बाबत वादीगण के पिताजी का सही नाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

नेनूराम उर्फ रामचन्द्र सोनी की बजाय राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम नेनूराम जी को दुरूस्ती करते हुये उसके स्थान पर नेनूराम उर्फ रामचन्द्रजी सोनी दर्ज करवाने व वादी संख्या 02 का सही नाम राजेन्द्र प्रकाश सोनी दर्ज करवाने व इस आशय की घोषणा करवाने एवं रेकर्ड दुरूस्ती करवाने के वादीगण अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी के सादर प्रस्तुत है। बिनाय वाद दिनांक 19.09.2024 को प्रतिवादी स्वयं व हल्का पटवारी द्वारा वादीगण व उनके पिताजी के नाम बाबत दुरूस्ती करने से इन्कार करने पर बमुकाम जैतारण तहसील जैतारण जिला–ब्यावर में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में वादपत्र प्रस्तुत है

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जवाब वादपत्र में व्यक्त किया कि यह सही है कि ग्राम जैतारण के खसरा नंबर 501/8 रकबा 0.9065 है जो वादीगण की खातेदारी भूमि है एवं ग्राम जैतारण के खसरा नंबर 501/8 पूर्व खसरा नंबर 501 रकबा 26–07 बीघा के विभाजन से बना है जमाबन्दी ग्राम जैतारण (2057–60) में नेनूराम पुत्र गणेशराम के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 1666 से अमृतलाल राजेन्द्रप्रसाद पि. नेनूराम कौम सोनी दर्ज किया था, किन्तु वादीगण का वास्तविक नाम अमृतलाल पुत्र नेनुराम उर्फ रामचन्द्र एवं राजेन्द्र प्रकाश सोनी पुत्र नेनुराम उर्फ रामचन्द्र है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी एवं जवाब वादपत्र तहसीलदार, जैतारण का अध्ययन किया, विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सरहद मौजा जैतारण तहसील– जैतारण की जमाबन्दी संवत 2077–2080 के खसरा संख्या 501/8 में अमृतलाल पुत्र नेनूराम, राजेन्द्रकुमार पुत्र नेनूराम बतौर खातेदार है। वादीगण का कथन है कि उनके वास्तविक नाम अमृतलाल पुत्र नेनुराम उर्फ रामचन्द्र एवं राजेन्द्र प्रकाश सोनी पुत्र नेनुराम उर्फ रामचन्द्र है। तहसीलदार, जैतारण ने भी अपनें जवाब वादपत्र में उक्त अनुतोष प्रदान करनें की सहमति प्रदान की है। वादीगण के शपथ–पत्र, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार, जैतारण के जवाब वादपत्र, फर्द मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि वस्तुतः अमृतलाल पुत्र नेनूराम, राजेन्द्र कुमार सोनी पुत्र नेनूराम का वास्तविक नाम अमृतलाल पुत्र नेनूराम उर्फ रामचन्द्र सोनी, राजेन्द्र प्रकाश सोनी पुत्र नेनूराम उर्फ रामचन्द्र सोनी है। अतः हम वादपत्र वादीगण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 एवं धारा– 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 501/8 रकबा 0.9065 बीघा किस्म बारानी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

दोयम के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज ''*अमृतलाल पुत्र नेनूराम, राजेन्द्रकुमार पुत्र नेनूराम*'' के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वादग्रस्त आराजी के सही व वास्तविक खातेदार के नाम की शुद्ध एवं सही प्रविष्टि ***''अमृतलाल पुत्र नेनूराम उर्फ रामचन्द्र सोनी हिस्सा 1/2, राजेन्द्र प्रकाश पुत्र नेनूराम उर्फ रामचन्द्र सोनी हिस्सा 1/2 ''*** दर्ज करते हुए वादीगण को इनके हिस्से तक वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला– ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक **09/10/2024** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री रवि प्रकाश , आर०ए०एस०

-: वादी :-

1. अमृतलाल सोनी पुत्र स्व. नेनुराम उर्फ रामचन्द्र
2. राजेन्द्र प्रकाश सोनी पुत्र स्व. नेनुराम उर्फ रामचन्द्र

जाति- सोनी, निवासीगण- शिवचौकी के पास जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर राज०।

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. तहसीलदार जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर, राज०।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0 :रा0वा0 स0: 179/2024

निर्णय व डिक्री दिनाँक : 09/10/2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....-....... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, श्री डांवरराम, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद-वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 एवं धारा- 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, तहसील जैतारण, जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 501/8 रकबा 0.9065 बीघा किस्म बारानी दोयम के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज ***"अमृतलाल पुत्र नेनूराम, राजेन्द्रकुमार पुत्र नेनूराम"*** के नाम की अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वादग्रस्त आराजी के सही व वास्तविक खातेदार के नाम की शुद्ध एवं सही प्रविष्टि ***"अमृतलाल पुत्र नेनूराम उर्फ रामचन्द्र सोनी हिस्सा 1/2, राजेन्द्र प्रकाश पुत्र नेनूराम उर्फ रामचन्द्र सोनी हिस्सा 1/2 "*** दर्ज करते हुए वादीगण को इनके हिस्से तक वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 09/10/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला-ब्यावर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	03	00	मिजानः–	— Nil —	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण जिला-पाली (राज.)

09/1/24

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)